

I

109

**बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड**  
 महेश भवन, पूर्वी गौंधी मैदान, पटना -4  
 कार्यालय आदेश

संघिका सं० - खा०/रिवेट/86/100/2015-16/2016-17

वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय ज्ञापांक-1088 दिनांक-14.03.2018 द्वारा खादी संस्था/समितियों को खादी उत्पादन के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खादी संस्थाओं को बिहार राज्य में किये गये कुल उत्पादन पर 10% छूट दिया जाना है।

01. वर्ष 2015-16 का कुल 09 खादी संस्था/समितियों को संलग्न सूची (अनुलग्नक) के अनुसार उत्पादन के आधार पर रू० 13,27,600.00 (तेरह लाख सताईस हजार छः सौ) मात्र भुगतान करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

02. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान संस्था/समितियों को बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

03. उक्त राशि का भुगतान संस्था/समिति को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के रिबेट मद में उपलब्ध करायी गई राशि से की जायेगी।

04. खादी संस्थाओं द्वारा रिबेट की राशि Chartered Accountant से सत्यापित कराया गया है। जिसे खादी बोर्ड के P.M.A (Grant Thornton India LLP) द्वारा भी जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के साथ-साथ भुगतान करने की अनुशंसा की गई है।

05. भविष्य में यदि इन दावा की अंकेक्षण जाँच महालेखाकार द्वारा करने के क्रम में कोई त्रुटिपूर्ण राशि अमान्य की जाती है, तो उसका समायोजन संबंधित संस्था/समिति से उनके बकाया दावा की राशि से या संस्था/समिति की एक मुश्त राशि बोर्ड में जमा करना पड़ेगा।

ज्ञापांक 50/272  
 प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, ऋण/अंकेक्षण/रिवेट (योजना) विहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
 पटना, दिनांक 26/07/18

ज्ञापांक 50/272 दिनांक- 26/07/18  
 प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, विहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
 पटना, दिनांक 26/7/18

02. उन्हें निदेश है कि your self RTGS/NEFT के द्वारा रिबेट दावा की राशि का भुगतान करेंगे। (अनुलग्नक सूची अनुसार)

ज्ञापांक 50/272 दिनांक- 26/07/18  
 प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/मंत्री, संस्था/समिति को उक्त भुगतान की जाने वाली रिबेट दावा में किसी प्रकार की गलती पाये जाने पर संस्था/समितियों की जिम्मेवारी होगी और उक्त राशि का संस्था/समिति से वसूलनीय होगी।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
 पटना, दिनांक 26/7/18

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
 पटना, दिनांक 26/7/18

575 Office Order khadi Board 2018

22/07

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड  
महेश भवन, गांधी मैदान पूरब, पटना 4

वर्ष 2015-16 का भुगतान (रिवेट दावा)

क्र०	संस्था/समिति का नाम	उत्पादन का अंकड़ा लाख रूपये में	₹० कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत रिवेट भुगतान राशि
1	2	3	4
1	रोसड़ा अनुमण्डलीय ग्रामोद्योग विकास मण्डल, बड़ी दुर्गा स्थान, पो०-रोसड़ा, जिला-समस्तीपुर	10.00	100000.00
2	कुलसुम मेमोरियल महिला विकास संस्थान, अंसारी टोला, भगवानपुर, पो०-सुगौना, भाया-राजनगर, जिला-मधुबनी	6.17	61700.00
3	सहरसा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, सहरसा-852201	40.02	400200.00
4	ग्रामीण विकास संस्थान, रामपुर ग्राम+पो०-रामपुर, भाया सरिसवपाही, मधुबनी-847424	12.40	124000.00
5	आदितडीह खादी ग्रामोद्योग बुनकर विकास संघ, आदितडीह, पो०-पचही, ब्लॉक, मधेपुर, मधुबनी	5.58	55800.00
6	मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट, ग्राम+पो०-सनकोथुं, भाया-सरिसवपाही, जिला मधुबनी-847424	6.11	61000.00
7	मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, सर्वोदय ग्राम मुजफ्फरपुर-2	41.06	410600.00
8	उग्र नारायण खादी ग्रामोद्योग आश्रम, ग्राम-मकरंदा पो०-मनीगाछी दरभंगा-847422	6.04	60400.00
9	नव बिहार समाज कल्याण प्रतिष्ठान केन्द्र, पावापुरी मोड़, पो०-पावापुरी नालन्दा	5.39	53900.00
		<b>132.77</b>	<b>1327600.00</b>

(234) a  
20-7-18

(Signature)  
23/5/18

(Signature)  
26/7/18